



प्रेस नोट

दिनांक 07.12.2024

03 अभियुक्तगण के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा जनपद के थाना मझगवां, जरिया व थाना जलालपुर से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित/जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिलाबदर किये गये अपराधियों का विवरण:-

- 1.अभियुक्त- दीपू उर्फ रित्तू उर्फ नीतेन्द्र पुत्र राधाचरण उर्फ रघू लोधी निवासी निवासी ग्राम टोलारावत थाना मझगवां जनपद हमीरपुर, दिनांक 28.11.2024 से 06 माह।
- 2.अभियुक्त- मूरतध्वज राजपूत पुत्र नारायण दास निवासी ग्राम इटौलियाबाजा थाना जरिया जनपद हमीरपुर, दिनांक 28.11.2024 से 06 माह।
3. अभियुक्त- सचित पुत्र भगवानदास उर्फ बौरा निवासी ग्राम बिलगांव थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर, दिनांक 28.11.2024 से 06 माह।